न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 125/2017 राजस्व अपील

1. बाबू पुत्र लल्लू जाति माली निवासी कारोली तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 29.09.2014 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बाबू, प्रकरण संख्या 144/2014 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :– दिनांकः 02.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम कारोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 70/1/2 रकबा 05 बिस्वा पर मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 29.09.2014 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.09.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 125/2017 राजस्व अपील

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दि गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (कब्जा काश्त नही होने का शपथ पत्र) का अवलोकन नही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम कारोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 70/1/2 रकबा 05 बिस्वा पर मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 29.09.2014 को अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट अतिकमी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष एक अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 राजस्व अपील में निर्णय दिनांक 27.04.2015 पारित कर अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर से अतिकमण हटाने व भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे, परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना न करने पर पुनः अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2014 को यथावत रखा गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 125 / 2017 राजस्व अपील

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2014 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2014 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा